इसे वेबसाइट www.mpindustry.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग
::मंत्रालय::

//<u>आदेश</u>//

भोपाल,दिनांक 02 मार्च, 2015

क्रमांक एफ–16–11/2014/बी–ग्यारहः राज्य शासन द्वारा वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु " मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014" जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग

पृ. क्रमांक एफ–16–11/2014/बी–ग्यारहः : भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2015
प्रतिलिपिः–

1/ प्रमुख सचिव मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय,भोपाल।
2/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय समस्त विभाग।
3/ उद्योग आयुक्त,उद्योग संचालनालय,मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4/ प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014

1. **प्रस्तावना :-**

राज्य शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 दिनांक 1 अक्टूबर,2014 से लागू की गई है। सुस्थिर औद्योगीकरण, रोजगार निर्माण और कौशल उन्न्यन के माध्यम से मध्यप्रदेश के नागरिकों की आर्थिक समृद्धि और समग्र वृद्धि प्राप्त करना इस नीति का लक्ष्य है। नीति में उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु कार्य योजना का उल्लेख किया गया है तथा साथ ही उद्योगों के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रावधानित किए गए हैं।

उपरोक्त नीति में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं हेतु प्रावधान किए गए हैं। राज्य शासन वृहद श्रेणी के उद्योग/निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 में उल्लेखित सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" लागू करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना अंतर्गत मेगा निवेश परियोजना वृहद श्रेणी में ही सम्मिलित होगी।

2. **योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र:-**

2.1 यह योजना दिनांक 01.10.2014 से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी।

2.2 ऐसी वृहद इकाईयां जिनके लिए उद्योग संवर्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत प्रोत्साहन का कोई पैकेज पहले स्वीकृत किया गया है, या जिसका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.10.2014 के पूर्व का है, उन्हें इस योजना का लाभ उठाने की पात्रता नही होगी, लेकिन उन्हें उद्योग संवर्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत जैसी भी स्थिति हो, सुविधाओं हेतु पात्रता होगी।

2.3 दिनांक 01.10.2014 को या इसके पश्चात किन्तु उद्योग संवर्धन नीति 2010 की समापन तिथि से एक वर्ष के अन्दर अर्थात दिनांक 31.10.2016 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली वृहद इकाईयों को उद्योग संवर्धन नीति 2014 या उद्योग संवर्धन नीति 2010 के तहत प्रोत्साहनों का पैकेज चुनने की स्वतंत्रता होगी तथापि एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा।

2.4 पूर्व प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति(यों) एवं टैक्सटाईल परियोजनाओं हेतु पुनरीक्षित विशेष पैकेज 2012 के अंतर्गत सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए, पूर्व की नीति(यों) एवं उक्त विशेष पैकेज अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014" में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

3. परिभाषायें :-

3.1 ''विभाग'' से तात्पर्य है मध्य प्रदेश शासन का वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग।

3.2 ''वृहद औद्योगिक इकाई'' से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में स्थापित ऐसी औद्योगिक परियोजना, जिसकी स्थापना हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से आशय पत्र (लेटर ऑफ इण्टेण्ट)/औद्योगिक लायसेंस/ आई.ई.एम. या राज्य शासन से ई.एम. अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया हो एवं जिसमें न्यूनतम रूपये 10 करोड़ का संयंत्र और मशीनरी में पूंजीनिवेश किया गया हो।

3.3 ''मेगा औद्योगिक इकाई'' से अभिप्रेत है,ऐसी वृहद औद्योगिक इकाई जिसमें न्यूनतम रूपये 100 करोड़ का संयंत्र और मशीनरी में पूंजीनिवेश किया गया हो अथवा खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, हर्बल व लघु वनोपज क्षेत्र की वृहद औद्योगिक इकाई जिसमें न्यूनतम रूपये 25 करोड़ का संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश किया गया हो

3.4 (अ) ''नई औद्योगिक इकाई'' से अभिप्रेत है, ऐसी इकाई जो मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में स्थापित हो एवं जिसमें दिनांक 01.10.2014 को अथवा उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो।

(ब) ''विद्यमान औद्योगिक इकाई'' से आशय ऐसी इकाई से है, जिसमें दिनांक 01.10.2014 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस योजना के शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया गया हों।

3.5 "नई/विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन" से तात्पर्य होगा, इकाई द्वारा पूर्व में संयंत्र एवं मशीनरी में किये गए पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत अथवा रू 50 करोड़, जो भी कम हो, का पूंजी निवेश

कर किया गया विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन, परंतु इस प्रकार किये गये विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन से इकाई द्वारा अपनी पूर्व स्थापित क्षमता से अतिरिक्त क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया हो।

3.6 "पूर्व में किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश'' से तात्पर्य औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन, के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अथवा औद्योगिक इकाई में मूल वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश जो भी अधिक हो, से होगा।''

3.7 ''स्थायी पूंजी निवेश''से अभिप्रेत है संयंत्र एवं मशीनरी में किया गया पूंजी निवेश।

3.8 ''संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश'' से तात्पर्य इकाई के संयंत्र एवं मशीनरी, भवन और शेड में किया गया निवेश, किन्तु इसमें भूमि और रिहायशी इकाईयां (Dwelling Units) शामिल नही होगी।

3.9 ''मूल्य संवर्धन कर (VAT)''से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग में इकाई द्वारा मध्यप्रदेश में उत्पादित माल के विक्रय के उपरांत इनपुट टेक्स के समायोजन पश्चात् मूल्य संवर्धन कर के रूप में जमा की गई राशि से होगा, जिसमें उत्पादन हेतु कच्चा माल के क्रय पर चुकाया गया मूल्य सवंर्धित कर सम्मिलित नहीं होगा।

3.10 'केन्द्रीय विक्रय कर" से तात्पर्य मध्यप्रदेश में स्थापित इकाई में उत्पादित माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर चुकाये गये केन्द्रीय विक्रय कर से है।

3.11 ''पंजीयन'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा वृहद उद्योगों के संदर्भ में इकाई के इस योजनांतर्गत अथवा इन्टीग्रेटेड इन्वेस्टर लाईफसाईकिल मेनेजमेंट सिस्टम(IILMS) के अंतर्गत किये जाने वाले पंजीयन से है।

3.12 ''टेक्सटाईल परियोजना'' से अभिप्रेत निम्नलिखित औद्योगिक इकाईयों से है:-

1. कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग
2. सिल्क रीलिंग एवं ट्वीस्टिंग

3. वूल स्कोरिंग, कॉम्बिंग एवं कालीन उद्योग

4. सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग एवं ट्वीस्टिंग

5. स्पिनिंग

6. विस्कोज स्टेपल फाइबर (व्ही.एस.एफ.) एवं विस्कोज फिलॉमेंट यार्न(व्ही.एफ.वाय.)

7. व्हीविंग, निटिंग एवं फेब्रिक कसीदाकारी

8. टेक्नीकल टेक्सटाईल नॉन वूवेन सहित

9. गारमेंट/डिजाईन स्टूडियों/मेड-अप विनिर्माण

10. फाइबर, यार्न, फेब्रिक, गारमेंट एवं मेड-अप का प्रसंस्करण

11. जूट उद्योग

3.13 "कम्पोजिट टेक्सटाइल इकाई" से अभिप्रेत है :-

किसी टेक्सटाइल इकाई को कम्पोजिट टेक्सटाइल इकाई अंतर्गत श्रेणीकरण हेतु डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के इनपुट के रूप में प्राथमिक उत्पाद (जैसे यार्न) का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग करना होगा और बिना उसके कार्यस्थल के दृष्टिगत (कार्यस्थल मध्यप्रदेश राज्य के अंदर एक ही स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर हो सकता है) निम्नलिखित में से कोई एक गतिविधि करनी होगी :-

- धागे (यार्न) और प्रसंस्करण गतिविधियों का उपयोग करते हुए कपड़ा बनाना (वीविंग/निटिंग और प्रसंस्करण गतिविधियां)
- कपड़ा प्रसंस्करण और विनिर्माण (प्रसंस्करण और तैयार वस्त्र)
- धागा विनिर्माण - धागे का उपयोग करते हुए परिधान (Apparel) विनिर्माण, कपड़ों का उपयोग करते हुए प्रसंस्करण और परिधान विनिर्माण (स्पिनिंग-वीविंग/निटिंग-प्रोसेसिंग और गारमेंटिंग)
- मेड-अप आर्टिकल्स

3.14 ''TUFS"से अभिप्रेत है:-

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी 71, नई दिल्ली नवम्बर, 2007 (समय समय पर हुए संशोधन सहित) में वर्णित TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme)।

3.15 "वित्तीय संस्था" से अभिप्रेत है:-

सहकारी केन्द्रीय बैंक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, शेड्यूल्ड बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या अन्य वित्तीय संस्था जो राज्य शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान हेतु मान्य की जावे।

3.16 "टर्मलोन" से अभिप्रेत है :-

स्थिर आस्तियों (Fixed Assets) के लिये वित्तीय संस्था/बैंक से प्राप्त किया गया ऋण।

3.17 "मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलेटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड" से अभिप्रेत है:-

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं निगमित मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलेटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड(ट्रायफेक), जो मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोज़गार विभाग के अधीन है।

3.18 "औद्योगिक पार्क" से अभिप्रेत है:-

ऐसा विकसित औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 50 एकड़ से कम न हो तथा उसमें कम से कम पांच औद्योगिक इकाईया स्थापित हो।

3.19 "प्राथमिकता विकास खण्ड" से अभिप्रेत है:-

राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.10.2014 की स्थिति में अधिसूचित ऐसा विकासखण्ड, जहां कोई वृहद/मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई नहीं है।

3.20 "निवेशक" से अभिप्रेत है:-

ऐसा व्यक्ति/भागीदार/संस्था/कंपनी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु निवेश कर उसमें वाणिज्यिक उत्पादन, दिनांक 01.10.2014 या उसके पश्चात प्रारंभ कर दिया गया हो/प्रस्तावित हो अथवा मध्यप्रदेश में औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास का कार्य दिनांक 01.10.2014 को या उसके पश्चात प्रारंभ किया गया हो/प्रस्तावित हो।

3.21 "राज्य स्तरीय साधिकार समिति"से अभिप्रेत है

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग तथा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग है तथा प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड समिति के पदेन सचिव है।

4. स्पष्टीकरण :-

4.1 इस नीति के अंतर्गत (कण्डिका क्रमांक 16 - आर्थिक रूप से बाधित इकाईयों के लिये सहायता को छोड़कर) प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए लागू है।

4.2 यदि मध्यप्रदेश शासन की एक से अधिक ऐसी नीतियॉं एक ही प्रकार का प्रोत्साहन/रियायत प्रदान करती हों तो निवेशक केवल एक ही नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत प्राप्त करने हेतु पात्र होगा ।

4.3 यदि कोई विनिर्माण इकाई इस नीति के अंतर्गत पात्रता के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती है तो वह इस शर्त के साथ ऐसा कर सकेगी कि वह उनके द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश से ज्यादा अनुदान प्राप्त न कर सके।

4.4 इकाइयों को विस्तार/शवलीकरण/तकनीकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन की पात्रता का निर्धारण इकाई द्वारा उसकी वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से पिछले 3 वर्षों के दौरान संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश से किया जाएगा।

4.5 इस नीति में उल्लेखित समय-सीमा में राज्य स्तरीय साधिकार समिति समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेंगी।

4.6 म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्र. एफ-16-11/2014-बी-ग्यारह, दिनांक 01.10.2014 से जारी उद्योग संवर्धन नीति 2014 के परिशिष्ट-IV में शामिल उद्योग इस योजना अंतर्गत सुविधा/सहायता हेतु अपात्र होंगे।(परिशिष्ट-1)

5. औद्योगिक इकाईयों के लिए सुविधा स्वीकृति आदेश

5.1 इकाईयों को इस योजनान्तर्गत सुविधा/सहायता प्राप्त करने हेतु एमपी ट्रायफेक में पंजीयन कराना होगा। पंजीकृत औद्योगिक इकाईयां पंजीकरण उपरांत संक्षिप्त

परियोजना प्रतिवेदन एमपी ट्रायफेक में प्रस्तुत करेंगी। इस प्रतिवेदन में भूमि, जल, विद्युत, संभावित निवेश की राशि, कच्चा माल तथा बाजार की व्यवस्था, मध्यप्रदेश तथा बाहर के राज्यों में निवेशक के निवेश की जानकारी, शासन से वांछित अनुमतियां एवं शासन से अपेक्षित सुविधाओं का उल्लेख होगा।

5.2 निवेशक द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानित सीमा के अंदर सुविधा चाहे जाने पर एमपी ट्रायफेक द्वारा सुविधा स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

5.3 मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानित सीमा के अतिरिक्त कतिपय सुविधाओं की मांग किए जाने पर ऐसे मामलों को ''निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति" (सीसीआईपी) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा परन्तु यह और भी कि संक्षेपिका सीसीआईपी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले इस पर प्रशासकीय अनुमोदन लिया जाकर संबंधित विभागों का अभिमत प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि समय के अभाव में अथवा अन्य कारणों से ऐसा करना सम्भव न हो तो ऐसे प्रकरण प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्त विभाग के अभिमत उपरान्त ''निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति'' के समक्ष रखे जा सकेंगे तथा विभागों से अपेक्षा की जा सकेगी कि वे अपने अभिमत समिति की बैठक में ही रख सके।

5.4 सुविधा स्वीकृति आदेश के प्रकरण प्रारंभ करने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि निवेशकों से उनकी प्रस्तावित औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिये चयनित जिले तथा विकास खण्ड की जानकारी प्राप्त कर ली जाये।

5.5 सुविधा स्वीकृति आदेश में अन्य बातों के अलावा परियोजना के लिए चयनित जिले तथा विकास खण्ड का उल्लेख आवश्यक होगा। साथ ही परियोजना के लिए व्यावसायिक उत्पादन दिनांक भी निर्धारित किया जायेगा अर्थात सुविधा स्वीकृति आदेश निश्चित स्थान एवं निश्चित समय के लिए होगा। यदि समुचित कारणों से स्थान अथवा व्यावसायिक उत्पादन दिनांक में परिवर्तन आवश्यक हो तो प्रकरण पुनः सक्षम स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। सक्षम स्वीकृति उसी स्तर से दी जायेंगी जिस स्तर से मूल स्वीकृति दी गई हो।

6. राज्य स्तरीय साधिकार समिति का दायित्व

6.1 राज्य स्तरीय साधिकार समिति का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन का वितरण सुनिश्चित करे। इस नीति अंतर्गत भूमि के अधोसंरचना विकास हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति तथा हरित औद्योगिकरण हेतु प्रावधानित सहायता को छोडकर शेष सभी प्रोत्साहन सहायता

की प्रथमबार स्वीकृति (पूर्व में जारी किये गये सुविधा स्वीकृति आदेश के अध्यधीन) राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा जारी की जायेगी। भूमि के अधोसंरचना विकास हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति तथा हरित औद्योगीकरण हेतु की गई सहायता की प्रतिपूर्ति हेतु एमपी ट्रायफेक सक्षम होगा।

6.2 मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत आवेदन व्यावसायिक उत्पादन दिनांक से 90 दिन के भीतर निवेशक को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट- 2) में एमपी ट्रायफेक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार अनुलग्नक इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट- 3 में शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित) भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

6.3 एमपी ट्रायफेक द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों से इकाई का निरीक्षणतथा दी गई जानकारी का यथासंभव सत्यापन कराया जायेगा। एमपी ट्रायफेक समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इस प्रतिवेदन में अन्य सभी सुसंगत बातों के अलावा निम्न बातों का समावेश आवश्यक होगा :-

(i) निवेशक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी पर किया गया निवेश

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक

(iii) प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक

(iv) औद्योगिक पार्क की स्थिति में पार्क का क्षेत्रफल, उसमें स्थापित इकाईयों की संख्या तथा अधोसंरचना विकास पर व्यय।

(v) स्थानीय विक्रेताओं के विकास के लिए अनुषंगीकरण को प्रोत्साहन की दृष्टि से इस बात की पुष्टि कि औद्योगिक इकाई के परिसर में या इसके 50 किलोमीटर की परिधि के अंदर नई विक्रेता इकाई स्थापित है एवं मातृ इकाई में उनके उत्पाद का कम से कम 75 प्रतिशत ब्रिकी हो रही हो।

(vi) औद्योगिक इकाई द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन की जानकारी।

(vii) टैक्सटाईल इकाई के संबंध में पुष्टिकरण कि इकाई स्वतंत्र या कंपोजिट की श्रेणी में आती है।

(viii) आर्थिक रूप से बाधित इकाईयों के लिए अग्रणी वित्तीय संस्थान की सिफारिश तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कम्पनी हेतु नियुक्त statutory auditor का प्रमाणीकरण

6.4 समुचित विचारोपरान्त राज्य स्तरीय साधिकार समिति को यह अधिकार होगा कि वे संलग्न परिशिष्ट-4 अनुसार उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे। समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर आदेश समिति के सचिव द्वारा जारी किया जायेगा। इस स्वीकृति आदेश में निम्न बातों का उल्लेख होगा :-

(i) वैट और सीएसटी प्रतिपूर्ति, प्रवेश कर से छूट, विद्युत शुल्क से छूट, मंडी शुल्क से छूट, ब्याज अनुदान, रायल्टी एवं सरकारी ड्यूटी में छूट/आस्थगन की अवधि।

(ii) विभिन्न प्रकार की छूट हेतु अधिकतम सीमा।

(iii) प्रति वर्ष दी जाने वाली सहायता राशि का प्रतिशत, मापदण्ड।

(iv) औद्योगिक पार्कों के प्रकरणों में देय सहायता राशि।

(v) अन्य कोई सहायता जो नीति अंतर्गत देय हो।

7. परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति :-

7.1 यदि निवेशक परियोजना स्थापना हेतु निजी भूमि अधिगृहित करता है या अविकसित शासकीय भूमि प्राप्त करता है तो ऐसी इकाईयों को बिजली, पानी, सड़क अधोसंरचना विकास के लिए प्रत्येक मद हेतु अधिकतम एक करोड़ की सीमा तक अधोसंरचना विकास में हुए व्यय की 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जायेगी।

7.2 जिस अधोसंरचना के विकास के व्यय हेतु प्रतिपूर्ति चाही गई है, उसका विकास दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 के पश्चात हुआ हो एवं इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक के बाद का नहीं हो।

7.3 इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.10.2014 से उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक का होना चाहिये।

7.4 इस सुविधा का लाभ उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में किये गये वास्तविक व्यय पर किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किये जायेंगे :-

(i) मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर तक सडक निर्माण में हुआ व्यय।

(ii) पॉवर स्टेशन/विद्युत केन्द्र से उद्योग परिसर तक विद्युतीकरण में हुआ व्यय।

(iii) जल स्त्रोत/मुख्य पाईप लाईन से उद्योग परिसर तक जल लाने हेतु पाईप लाईन बिछाने में हुआ व्यय ।

उक्त कार्यो पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा।

7.5 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को अधोसंरचना व्यय में दिये जाने वाले अनुदान हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन म. प्र. ट्रायफेक में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार होगा और उसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

(iii) निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -3)।

7.6 एमपी ट्रायफेक द्वारा उपरोक्त आवेदन पर 60 दिवस की समयावधि में समुचित निर्णय लिया जायेगा तथा आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में देय सहायता राशि निवेशक को उपलब्ध कराई जायेगी।

8. अधोसंरचना विकास के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहन

8.1 विनिर्माण उद्योगों से संबंधित औद्योगिक पार्कों, फूड पार्कों, हाईटेक पार्कों की स्थापना/अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।

8.2 औद्योगिक पार्कों की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 15 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5 करोड तक सहायता के रूप में निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराया जायेगा यदि विकसित औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल कम से कम 50 एकड हो तथा उसमें न्यूनतम 5 औद्योगिक इकाई स्थापित हो।

8.3 संस्था/एजेन्सी द्वारा औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-5) में आवेदन सहपत्रों सहित म. प्र. ट्रायफेक में प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य स्तरीय साधिकार समिति के अनुमोदन उपरांत

निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रायफेक द्वारा औद्योगिक पार्क स्थापना/विकास हेतु स्वीकृति जारी की जाएगी:-

8.3.1 औद्योगिक पार्क की स्थापना /विकास स्वीकृति आदेश दिनांक से तीन वर्ष के भीतर होना चाहिए। निर्धारित अवधि में औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास न होने की दशा में प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रायफेक द्वारा संबंधित संस्था/एजेन्सी को 60 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा। समाधानकारक जवाब प्राप्त होने पर औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रायफेक द्वारा प्रदान किया जाएगा। उक्त अतिरिक्त समय में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास न होने की दशा में या 60 दिवसीय सूचना पत्र का समाधानकारक जवाब प्राप्त न होने पर औद्योगिक पार्क स्थापना /विकास हेतु जारी स्वीकृति आदेश निरस्त किया जाएगा। उक्त निरस्तीकरण के विरूद्ध अपील तीन माह के अंदर राज्य स्तरीय साधिकार समिति को प्रस्तुत की जा सकेगी।

8.3.2 राज्य स्तरीय साधिकार समिति अपील पर विचार कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम तीन वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेगी, परंतु औद्योगिक पार्क स्थापना/विकास हेतु प्रदत्त कुल समय संस्था/एजेन्सी को औद्योगिक पार्क स्थापना/विकास हेतु जारी स्वीकृति आदेश की दिनांक से छः वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।

8.3.3 औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत अवधि या औद्योगिक पार्क के पूर्ण होने का दिनांक जो भी पहले हो, तक स्थापना/विकास में व्यय की गई राशि अनुदान हेतु गणना में ली जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक पार्क के पूर्ण होने से आशय अधोसंरचना पूर्ण होने के बाद न्यूनतम 5 औद्योगिक इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने से है।

8.3.4 औद्योगिक पार्क के पूर्ण होने के दिनांक के तीन माह के भीतर एजेन्सी/निवेशक द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में आवेदन निम्नलिखित सहपत्रों के साथ प्रबंध संचालक, म. प्र. ट्रायफेक को प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) विकसित औद्योगिक पार्क में स्थापित किन्हीं पांच औद्योगिक इकाईयों के नाम मय स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित

(ii) विकसित औद्योगिक पार्क के क्षेत्रफल को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज

(iii) औद्योगिक पार्क विकसित करने में हुए व्यय (कण्डिका 8.3.3 में दी गई अवधि में) के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(iv) निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -3)।

8.4 निवेशकों को उपरोक्त सहायता औद्योगिक पार्क के पूर्ण होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रदाय की जायेगी।

9. हरित औद्योगीकरण

9.1 उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (जैसे ईटीपी,एसटीपी आदि) प्रदूषण नियंत्रित युक्तियों, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों, जल संरक्षण/दोहन आदि की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रूपये प्रदान किया जाएगा।

9.2 यह सुविधा एक से अधिक इकाईयों द्वारा संयुक्त रूप से अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना पर भी देय होगी।

9.3 अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण-पत्र।

9.4 अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में हुआ व्यय दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 या उसके पश्चात का होना चाहिए।

9.5 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में आवेदन म. प्र. ट्रायफेक में प्रस्तुत किया जायेगा।

9.6 आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -3) व चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाणपत्र (अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत मदवार व्यय सत्यापन सहित) भी देना होगा।

9.7 आवेदन के दिनांक से 60 दिन की समयावधि में एमपी ट्रायफेक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा तथा इस राशि का वितरण निवेशक को किया जायेगा।

10. स्थानीय विक्रेताओं (Vendors) के विकास के लिए अनुषंगीकरण (Ancillarisation) को प्रोत्साहन

10.1 राज्य सरकार औद्योगिक परिवेश के आपूर्ति पक्ष को मजबूत बनाने के विचार से मातृ इकाइयों के पास अनुषंगी इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी।

10.2 इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, रसायन, पेट्रोरसायन तथा उर्वरक, फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग, चमडे और चमडे की वस्तुओं, वस्त्र उद्योग तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई के परिसर में या इसके पचास कि.मी. की परिधि के अंदर नई विक्रेता इकाईयों की स्थापना करने एवं मातृ इकाई में इनके उत्पादों की कम से कम 75 प्रतिशत का विक्रय (मूल्य आधारित) होने पर, इन्हें मातृ इकाई को मिलने वाले प्रोत्साहनों के समान पैकेज की सीमा तक सहायता दी जा सकेगी।

10.3 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -3) म. प्र. ट्रायफेक में प्रस्तुत किया जायेगा।

10.4 राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा नई विक्रेता इकाई को मातृ इकाई को मिलने वाले प्रोत्साहनों के समान पैकेज की सहायता स्वीकृत की जाएगी।

10.5 राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरान्त एमपी ट्रायफेक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सामयिक (Periodical) सहायता राशि का वितरण किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्युत शुल्क सुविधा की पात्रता अनुषांगिक इकाई को उसके द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन के आधार पर ही देय होगी।

10.6 इस सहायता के परिप्रेक्ष्य में मातृ इकाई प्रथम बार अपनी विक्रेता इकाई(यों) की सूची उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता सहित एमपी ट्रायफेक को उपलब्ध कराएगी। एक बार सूची में अंकित विक्रेता इकाई(यों) के अतिरिक्त समान उत्पाद

का विनिर्माण करने वाली किसी अन्य इकाई को मातृ इकाई के अनुरूप सुविधा देय नहीं होगी।

11. प्रवेश कर छूट

11.1 संयंत्र एवं मशीनरी में 500 करोड रूपये तक निवेश करने वाली इकाईयों को 5 वर्ष तक तथा 500 करोड से अधिक निवेश करने वाली इकाईयों को 7 वर्ष तक, परंतु टेक्सटाइल परियोजनाओं के प्रकरणों में संयंत्र एवं मशीनरी में 100 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली इकाईयों को 5 वर्ष तक तथा 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली इकाईयों को 7 वर्ष तक प्रवेश कर छूट की सहायता दी जाएगी।

11.2 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -3) म. प्र. ट्रायफेक में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

11.3 राज्य स्तरीय साधिकार समिति की स्वीकृति उपरांत प्रवेश कर छूट का पात्रता प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-6) सचिव, राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा जारी किया जाएगा जो "मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976" की धारा 10 अंतर्गत जारी किया समझा जाएगा।

11.4 प्रवेश कर से छूट प्राप्त करने हेतु इकाई वाणिज्यिक कर विभाग के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी होना चाहिए ।

11.5 वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उद्योग संवर्धन नीति के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2010 में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 96, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 वृहद श्रेणी के उद्योगों के लिए उपरोक्तानुसार संशोधित मान्य होगी।

12. वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति

12.1 पात्र उद्योगों को उनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में किये गये कुल निवेश की सीमा तक निर्धारित पात्रता अवधि के दौरान जमा किये गये मूल्य संवर्धित कर (वैट) और केन्द्रीय विक्रय कर (जिसमें कच्चेमाल की खरीद पर मूल्य संवंर्धित कर की राशि शामिल नहीं है) की राशि पर इनपुट टैक्स रिबेट समायोजित करने के बाद प्रतिपूर्ति की सहायता दी जायेगी, जो कि 75 प्रतिशत के मान से प्राथमिकता

विकास खण्ड में स्थापित उद्योगों को 10 वर्षों तथा अन्य विकास खण्ड में स्थापित उद्योगों को 7 वर्षों की अवधि के लिए होगी।

यद्यपि टेक्सटाईल इकाईयों को उसके वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से आठ वर्ष के लिए, टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश की सीमा तक, निम्नानुसार निवेश संवर्धन सहायता प्रदान की जायेगी :-

कॉटन जीनिंग - जीनिंग कॉटन को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

स्पिनिंग मिल - कॉटन यार्न को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये अभिकलित सकल सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

वस्त्र विनिर्माण इकाई (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है) - विनिर्माण इकाई द्वारा कॉटन यार्न क्रय करने पर चुकाये गये वैट के समतुल्य

या/एवं

रेडीमेड गारमेंट/अपेरल इकाई - रेडीमेड गारमेंट/अपेरल विक्रय करने पर चुकाये गये वैट और सीएसटी के समतुल्य।

12.2 इकाई द्वारा प्रतिवर्ष भुगतान किये जाने वाले कुल मूल्य संवर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर की, पात्रता अनुसार 75 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर पुष्टि दस्तावेज के आधार पर की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश के बाद की जाएगी।

12.3 किसी भी स्थिति में सहायता राशि संयंत्र एवं मशीनरी, भवन और शेड में किये गये पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी।

12.4 इसके अतिरिक्त सहायता राशि म. प्र. शासन के पास जमा की गई शुद्ध कर राशि से भी अधिक नहीं होगी।

12.5 सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई वाणिज्यिक कर विभाग के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी होनी चाहिए।

12.6 निवेश संवर्धन सहायता केवल उत्पादित मुख्य उत्पाद, सह-उत्पाद (Bye-Product) एवं उत्पादन की प्रक्रिया से प्राप्त बर्ज्य-पदार्थ (Waste materials) के परिप्रेक्ष्य में ही दी जाएगी।

12.7 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -3) म. प्र. ट्रायफेक में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

12.8 म. प्र. ट्रायफेक द्वारा राज्य स्तरीय साधिकार समिति की स्वीकृति उपरांत कुल पात्रता अवधि एवं कुल पात्रता राशि की सीमा तक प्रतिवर्ष भुगतान किये जाने वाले कुल मूल्य सवंर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर की पात्रता अनुसार 75 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर पुष्टि दस्तावेज के आधार पर की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश पश्चात की जाएगी। पात्रता के अंतिम वर्ष में सम्पूर्ण अवधि के अंतिम कर निर्धारण आदेश के आधार पर प्रतिपूर्ति की जावेगी।

12.9 राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरान्त एमपी ट्रायफेक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सामयिक (Periodical) सहायता राशि का वितरण किया जायेगा।

13. विद्युत शुल्क में छूट

13.1 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 4 मार्च, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-23-2013-तेरह में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत सभी पात्र इकाईयों, जिनके द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2014 से दिनांक 03 मार्च, 2019 तक राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों से नवीन उच्च दाब संयोजन प्राप्त किए गए हैं/जायेंगे, को कंडिका 13.2 में दर्शायी कालावधि के लिए ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत के लिए उक्त अधिसूचना की शर्तों के अध्याधीन विद्युत शुल्क के संदाय से छूट की सुविधा उपलब्ध होगी ।

13.2 औद्योगिक इकाईयों को 33 केवी कनेक्शन के लिए 5 वर्षों की अवधि तक, 132 केवी कनेक्शन के लिए 7 वर्षों की अवधि तक तथा 220 केवी कनेक्शन के लिए 10 वर्षों की अवधि तक विद्युत शुल्क (डयूटी) में छूट दी जायेगी।

13.3 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -3) म. प्र. ट्रायफेक में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

14. मण्डी शुल्क में छूट

14.1 सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या पांच वर्ष की अवधि (इनमें से जो भी कम हो) के लिए मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी।

14.2 शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाईयों को ही होगी, जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगे।

14.3 मण्डी शुल्क छूट की सुविधा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली इकाईयों पर लागू नहीं होगी।

14.4 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) म. प्र. ट्रायफेक में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

14.5 राज्य स्तरीय साधिकार समिति की स्वीकृति उपरांत मण्डी शुल्क से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र सचिव, राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा परिशिष्ट- 12 अनुसार जारी किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 अंतर्गत देय मण्डी शुल्क से छूट हेतु मान्य होगा।

15. टेक्सटाईल परियोजनाओं हेतु ब्याज अनुदान -

15.1 रूपये 25 करोड तक की स्थाई पूंजी निवेश वाली नवीन इकाई को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम रूपये 5 करोड की सीमा तक ब्याज अनुदान की सहायता दी जाएगी।

15.2 रूपये 25 करोड से अधिक के स्थाई पूंजी निवेश वाली नवीन इकाई को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की सहायता दी जाएगी।

15.3 विद्यमान स्वतंत्र इकाई जिसके द्वारा विस्तार/शवलीकरण हेतु टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में विद्यमान स्थाई पूंजी निवेश का कम से कम 30 प्रतिशत (जो रूपये 25 करोड से कम नहीं हो) या रूपये 50 करोड, जो भी कम हो, नवीन निवेश किया गया हो को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की सहायता दी जाएगी।

15.4 नवीन कम्पोजिट इकाई जिसके द्वारा रू. 25 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो या विद्यमान स्वतंत्र इकाई के शवलीकरण से निर्मित कम्पोजिट इकाई को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की सहायता दी जाएगी।

15.5 टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था द्वारा परिशिष्ट-7 अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम म. प्र. ट्रायफेक को प्रस्तुत किया जाएगा अथवा इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिशिष्ट-7 अनुसार प्रपत्र में क्लेम टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था से प्राप्त कर म. प्र. ट्रायफेक को प्रस्तुत किया जाएगा। क्लेम पत्रक जिस त्रैमास से संबंधित है उस त्रैमास की समाप्ति के 90 दिवस के भीतर म. प्र. ट्रायफेक को प्रस्तुत करना होगा।

15.6 राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश, पात्रता अवधि व प्रतिशत तथा इकाई के प्रकार (स्वतंत्र या कम्पोजिट) के संबंध में निर्णय लेकर ब्याज अनुदान सुविधा स्वीकृत करेगी।

15.7 किसी टैक्सटाइल इकाई को राज्य स्तरीय साधिकार समिति से एक बार सुविधा अनुमोदित होने के बाद प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेंस्टमेन्ट फैसिलेटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड इसे संपूर्ण पात्रता अवधि में वितरित करने के लिए सक्षम होगें अर्थात किसी इकाई को एक बार समिति द्वारा सुविधा अनुमोदित होने पर उसके प्रकरण में वित्तीय संस्था से त्रैमासिक क्लेम प्राप्त होने पर उसकी त्रैमासवार स्वीकृति पुनः समिति से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु स्थायी पूंजी निवेश में या इकाई के प्रकार में (स्वतंत्र या

कम्पोजिट) परिवर्तन होने पर वितरण हेतु समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

15.8 एम.पी.ट्रायफेक द्वारा ब्याज अनुदान हेतु परिशिष्ट-8 में स्वीकृति-सह-वितरण आदेश जारी किया जायेगा।

16. आर्थिक रूप से बाधित (constrained) इकाइयों के लिए सहायता

16.1 उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में वित्तीय बाध्यताओं का सामना कर रही परियोजनाओं हेतु सहायता का प्रावधान किया गया है।

16.2 अग्रणी वित्तीय संस्थान की सिफारिश तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कम्पनी हेतु नियुक्त statutory auditor द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी इकाई को वित्तीय बाध्यता (constrained) के तहत पात्र माना जायेगा।

16.3 वित्तीय तनाव ग्रस्त इकाइयों को सरकारी देयताओं जिसमें रॉयलटी एवं सरकारी डयूटी शामिल है (करों को छोडकर) को अधिकतम 12 वर्ष की अवधि के लिए आस्थगित रखने की अनुमति दी जायेगी। यदि कानून के प्रावधानों के कारण आस्थगन संभव न हो तो, ऐसी इकाई राशि जमा करने और उसे ऋण के रूप में समतुल्य अवधि के लिए वापिसी हेतु दावा कर सकने हेतु पात्र होगी।

16.4 इकाई द्वारा आस्थगित की गई राशि पर भारतीय स्टेट बैंक की उस वर्ष के लिए निर्धारित आधार दर पर ब्याज देय होगा तथा ब्याज का भुगतान वार्षिक किया जाना होगा।

16.5 इस सुविधा का लाभ लेने के लिए इकाई अथवा उसके प्रमोटर को उसके द्वारा देय राशि के 110% के समतुल्य राशि तथा आस्थगन अवधि की वैधता अवधि के समान वैधता की irrevocable bank guarantee देना अनिवार्य होगी। वैकल्पिक रूप से, वे परियोजनाएं जिनमें राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों से परियोजना का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है, ऋणकर्ताओं, परियोजना प्रवर्तकों और राज्य सरकार या इसकी एजेंसी के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिस पर लिखा जाएगा कि आस्थगित राशि के लिए परियोजना प्रवर्तक द्वारा चूक होने के मामले में, इसे परियोजना में देय भुगतान के प्रति समायोजित किया जाएगा।

16.6 यह सुविधा केवल 500 करोड रूपये से अधिक के मेगा स्तर के निवेश के लिए लागू होगी।

16.7 यह सुविधा उस समयावधि में लागू नहीं होगी, जिसमें इकाईयों द्वारा वैट और सीएसटी प्रतिपूर्ति का लाभ उठाया जा रहा है।

16.8 यह सुविधा व्यापार और सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों पर लागू नहीं होगी।

16.9 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-9) में आवेदन म.प्र. ट्रायफेक में निम्नलिखित सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा :-

(i) प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश के प्रमाणीकरण हेतु विधिकलेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

(ii) वित्तीय वर्ष, जिसमें इकाई आर्थिक रूप से बाधित हुई हो, का अंकेक्षित लेखा

(iii) वर्ष दर वर्ष चाही गई अनुमानित सहायता राशि का लेखा

(iv) अग्रणी वित्तीय संस्थान की सिफारिश (परिशिष्ट-10)

(v) कम्पनी अधिनियम 2013, के अंतर्गत कम्पनी हेतु नियुक्त statutory auditor द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जो यह सिद्ध करता हो कि कंपनी financially constrained है।

16.10 निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद समिति द्वारा आर्थिक रूप से बाधित इकाई को एक निश्चित अवधि (अधिकतम 12 वर्ष) के लिये सरकारी देयताओं को आस्थगित रखने की अनुमति/सहायता स्वीकृत की जायेगी।

16.11 एमपी ट्रायफेक द्वारा परिशिष्ट-11 में आस्थगन/सहायता हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

17. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के परिशिष्ट - I (विशेष पैकेज 2014) एवं परिशिष्ट - II (पॉलिसी पैकेज 2014) अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाईयों को सुविधाओं की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति(HLC) से प्राप्त होने के उपरांत उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता/सुविधा का प्रदाय म. प्र. ट्रायफेक द्वारा किया जाएगा।

18. निवेश प्रोत्साहन राशि/सुविधा प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया –

18.1 एमपी ट्रायफेक में पंजीकृत औद्योगिक इकाई को वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समय सीमा में एमपी ट्रायफेक में प्रस्तुत करना होगा।

18.2 निवेशक द्वारा चाही गई सुविधाओं के सम्यक विश्लेषण उपरांत ट्रायफेक द्वारा प्रकरण राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

18.3 राज्य स्तरीय साधिकार समिति से स्वीकृति प्राप्त होने पर इस योजनान्तर्गत चाही गई वित्तीय सहायता संबंधी स्वीकृति आदेश प्रबंध संचालक, एमपी ट्रायफेक द्वारा जारी किये जायेगे। इस स्वीकृति आदेश में उपरोक्त सुविधाओं की दरें, पात्रता अवधि तथा अनुदान-सीमा तीनों का उल्लेख किया जायेगा।

18.4 समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता/सुविधा का प्रदायम. प्र. ट्रायफेक द्वारा किया जायेगा। प्रबंध संचालक, ट्रायफेक ऐसे वितरण करते समय अन्य विभागों से आवश्यकतानुसार उचित परामर्श कर सकेंगे। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान इकाई को बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफट/ई-पैमेंट के माध्यम से इकाई के बैंक खाते में किया जायेगा।

18.5 इकाई के प्रकरण में बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-पेमेंट की पावती ही निवेश प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र होगा।

18.6 राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा निवेश प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत बजट में प्रावधान के अभाव में अथवा किसी भी अन्य कारण से चेक/ड्राफ्ट/ई-पेमेंट वितरण में विलम्ब होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

18.7 इकाई द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को इकाई को उत्पादनरत रहना अनिवार्य होगा एवं इकाई को सहायता अवधि में तथा इसके पश्चात आगामी 3 वर्षों तक उत्पादनरत रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई के 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू राजस्व की बकाया की तरह इकाई से 12 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जावेगी।

18.8 इकाई को जिन प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश के आधार पर सहायता स्वीकृत की जायेगी उन प्लांट एवं मशीनरी को सहायता की अवधि तथा उसके पश्चात 3 वर्षों तक अच्छी स्थिति में रखना अनिवार्य होगा। इकाई द्वारा स्थापित इकाई के

अथवा उसके किसी भाग के अथवा किये गये पूंजी निवेश से निर्मित प्लांट एवं मशीनरी के स्थान में परिवर्तन अथवा कमी नहीं की जाएगी। निर्मित प्लांट एवं मशीनरी के स्वामित्व में परिवर्तन, सहायता की अवधि एवं उसके पश्चात् 3 वर्षों तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल, की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति प्राप्त करने पर ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 के अन्तर्गत पूर्व स्थापित इकाई के समस्त दायित्व एवं अधिकार नवीन/परिवर्तित इकाई पर लागू होंगे।

19. अपील

राज्य स्तरीय साधिकार समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील एमपी ट्रायफेक के माध्यम से ''निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति'' (सीसीआईपी) के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को सीसीआईपी गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगी।

20. संशोधन/शिथलीकरण/निरसन

योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग किसी भी समय -

20.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

20.2 इस योजना के प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा,

20.3 योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रसारित कर सकेगा,

21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सचिव
म.प्र. शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

परिशिष्ट -1

अपात्र उद्योगों की सूची

स. क्र.	अपात्र उद्योग
1	बियर और शराब (वाइनरी को छोड़कर)
2	स्लॉटर हाउस और मांस पर आधारित उद्योग
3	सभी प्रकारों के पान मसाला और गुटका विनिर्माण
4	तंबाकू और तंबाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण
5	40 माइक्रोन या इससे कम के प्लास्टिक बैग्स का विनिर्माण
6	केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयां
7	स्टोन क्रशर
8	खनिजों की पिसाई
9	राज्य सरकार/राज्य सरकार उपक्रमों के अशोधी/चूककर्ता
10	सभी प्रकार की खनन गतिविधियाँ (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हों)
11	व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियां
12	लकड़ी के कोयले (चारकोल) का विनिर्माण
13	खाद्य तेलों की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई) एवं सोयाबीन तेल उत्पादक इकाइयां (रिफाइनरी के साथ)
14	सीमेंट (क्लिंकर सहित) विनिर्माण
15	सभी प्रकार के प्रकाशन एवं मुद्रण प्रक्रियाए (रोटोग्रेवर/फ्लेक्स प्रिंटिग को छोड़कर)
16	सोने एवं चांदी के बुलियन से निर्मित आभूषण एवं अन्य वस्तुए
17	आरा मिल एवं लकड़ी की प्लेनिंग
18	लोहे/स्टील के स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लॉक्स एवं अन्य किसी आकार में बदलना
19	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य कोई उद्योग

परिशिष्ट- 2

"मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत आवेदन का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक,

म.प्र. ट्रायफेक ।

विषयः- "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मैं/हम जिला .....(मध्यप्रदेश) में इकाई स्थापित/औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास करने का आशय रखते है। "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु इकाई/औद्योगिक पार्क का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई/एजेन्सी/संस्था का नाम :

02. योजना अंतर्गत अथवा इन्टीग्रेटेड इन्वेस्टर लाईफसाईकिल मेनेजमेंट सिस्टम(IILMS) अंतर्गत पंजीयन क्रमांक व दिनांक :

03. इकाई/औद्योगिक पार्क का स्थल :

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला

04. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत मेमोरेण्डम पार्ट 2 जमा करने पर दी गई अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक/भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से आशय पत्र (लेटर ऑफ इण्टेण्ट)/औद्योगिक लायसेंस/आई.ई.एम.(पार्ट-बी) क्रमांक व दिनांक :

या

औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु म.प्र. ट्रायफेक द्वारा दी गई स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक

05. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

06. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

07. <u>औद्योगिक इकाई की स्थिति में</u>

(i) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने केदिनांक तक किये गए स्थायी पूंजी निवेश/यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :

(iii) इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	**उत्पाद का नाम**	**वार्षिक क्षमता**

(iv) इकाई में प्राप्त कुल रोजगार :

(v) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन होने पर :

विवरण	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व**	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत**	**योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात)**
पूंजी निवेश (लाख रूपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i) .....(उत्पाद)..... (ii) .....(उत्पाद)..... (iii) .....(उत्पाद)..... (iv) .....(उत्पाद).....			

औद्योगिक पार्क की स्थिति में

(i) औद्योगिक पार्क के पूर्ण होने (न्यूनतम 5 इकाईयां स्थापित होने पर) का दिनांक :

(ii) औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास में किये गए निवेश की राशि (लाख रूपए में)
(चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र) :

(iii) औद्योगिक पार्क की स्थिति में स्थापित इकाईयां (संख्या) :

08. चाही गई सहायता का विवरण :

(अ) परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम-7)

(i) विकसित की गई अधोसंरचना का संक्षिप्त विवरण :

(ii) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने पर दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 या उसके पश्चात एवं इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित व्यय राशि (प्रमाण पत्र संलग्न) :

(राशि लाख रूपये में)

सड़क निर्माण हेतु .....

विद्युतीकरण हेतु .....

जल अधोसंरचना हेतु.....

(ब) औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास सहायता (नियम-8)

(i) औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल (एकड़ में)
(क्षेत्रफल को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित) :

(ii) औद्योगिक पार्क के स्वामी/लीज धारक का नाम (दस्तावेज संलग्न) :

(iii) औद्योगिक पार्क में स्थापित उद्योगो के नाम - न्यूनतम पांच(स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न) :

(iv) चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (प्रमाण पत्र संलग्न) :

(स) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम-9)

(i) स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण (प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण पत्र संलग्न) :

(ii) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 या उसके पश्चात किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय राशि (प्रमाण पत्र संलग्न) :

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

(द) अनुषंगीकरण को प्रोत्साहन अंतर्गत सहायता (नियम-10)

(I) <u>इकाई की मातृ इकाई का</u>

(i) नाम :

(ii) स्थल का पता :

(iii) संगठन का प्रकार :

(iv) इकाई स्वामी/भागीदार/प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

(v) भारत सरकार का आई.ई.एम./लायसेंस क्रमांक व दिनांक :

(vi) इकाई द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाला कच्चा माल व उत्पाद का विवरण :

(vii) इकाई को उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत प्राप्त सहायताए :

(II) <u>विक्रेता इकाई</u>

(i) मातृ इकाई से भौतिक दूरी (किमी)

(ii) उत्पाद विक्रय का विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	उत्पाद का नाम	उत्पादन	कुल विक्रय राशि (रू. में)	मातृ इकाई को किये गये विक्रय की राशि (रू. में)	मातृ इकाई को किये गये विक्रय का प्रतिशत

टीप :- दर्शित विक्रय के संबंध में मातृ इकाई द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक कर विभाग का दस्तावेज व अन्य कोई संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।

(इ) प्रवेश कर मुक्ति सुविधा (नियम-11)

(i) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त किया गया TIN व दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(ii) प्रथम कच्चामाल क्रय दिनांक (संबंधित देयक की प्रति संलग्न) :

(iii) कच्चामाल/आनुषांगिक माल/पैकिंग मटेरियल के नाम एवं वार्षिक मात्रा :

क्र.	नाम	वार्षिकमात्रा

(vi) आवेदन दिनांक तक उत्पादन एवं विक्रय के वर्षवार आंकड़े :

वित्तीय वर्ष	उत्पादन	विक्रय

(फ) वैट एवं सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति (नियम-12)

(i) क्या इकाई प्राथमिकता विकास खण्ड में स्थापित है ? यदि हां, तो विकास खण्ड का नाम (जिले सहित) :

(ii) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त किया गया TIN व दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(iii) वित्तीय वर्ष ..... में राज्य शासन के पास जमा की गई शुद्ध कर राशि -(रूपये में) (दस्तावेज संलग्न) :

(iv) वित्तीय वर्ष ..... में इकाई के उत्पादित मुख्य उत्पाद, सह-उत्पाद (Bye-Product) एवं उत्पादन की प्रक्रिया से प्राप्त बर्ज्य पदार्थ-(Waste materials) की मात्रा एवं विक्रय की राशि (दस्तावेज संलग्न) :

(v) <u>टेक्सटाईल उद्योगों हेतु (विशेष टेक्सटाईल पैकेज)</u>

(1) TUFS अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में) :

(2) वित्तीय वर्ष ..... में इकाई की गतिविधि का प्रकार (जो लागू हो) :

क/ कॉटन जीनिंग - जीनिंग कॉटन के अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाई गई सीएसटी की राशि - (रूपये में)

ख/ स्पिनिंग मिल - कॉटन यार्न के अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाई गई अभिकलित सकल (computed gross) सीएसटी की राशि - (रूपये में)

ग/ वस्त्र विनिर्माण इकाई (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है) - विनिर्माण इकाई द्वारा कॉटन यार्न क्रय करने पर चुकाये गये वैट की राशि-(रूपये में)

घ/ रेडीमेडगारमेंट/अपेरल इकाई - रेडीमेड गारमेंट/अपेरल विक्रय करने पर चुकाये गये वैट और सीएसटी की राशि -(रूपये में)

(उपरोक्त हेतु कर पुष्टि दस्तावेज संलग्न)

(vi) <u>अन्य उद्योगों हेतु</u>

जमा किए गए मूल्य संवर्धित कर और केंद्रीय विक्रय कर की राशि (रूपये में)(जिसमें कच्चामाल की खरीद पर मूल्य संवर्धित कर की राशि शामिल नहीं है, पर इनपुट टैक्स रिबेट समायोजन पश्चात) (उपरोक्त हेतु कर पुष्टि दस्तावेज संलग्न) :

(ज) विद्युत शुल्क में छूट (नियम-13)

(i) 'हाई टेंशन' (एचटी) कनेक्शन संयोजन का दिनांक व केवी कनेक्शन का प्रकार (33/132/220) (दस्तावेज संलग्न हैं) :

(ii) उपभोक्ता क्रमांक :

(च) मण्डी शुल्क में छूट (नियम-14)

मण्डी समिति से प्राप्त प्रसंस्करण एवं क्रय-विक्रय के वैध लायसेंस का क्रमांक एवं दिनांक (मण्डी समिति से सत्यापित दस्तावेज संलग्न) :

कृपया "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014"अंतर्गत सुविधा/सहायता स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

<u>नोट</u>- जिस सुविधा/सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट - 3

"मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र

(निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूं /करते हैं कि :-

1. मेरे/हमारे द्वारा म.प्र. ट्रायफेक में "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक ..... में दी गई जानकारी सत्य है ।

2. मैं/हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं है ।

3. विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई/औद्योगिक पार्क हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है। (यदि लागू हो तो)

या

स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/प्रणालियॉं आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा मानकों के अनुरूप है। (यदि लागू हो तो)

4. मैं/हम यह वचन देता/देते हूं/हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना/नियम में उल्लेखित किसी भी शर्त/प्रावधान का मेरे द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा एवं मैं/हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहेंगे।

5. मैं/हम इकाई को सहायता अवधि में तथा इसके पश्चात कम से कम 3 वर्षों तक उत्पादनरत रखेंगे।

6. इकाई के नियमानुसार कार्यरत नहीं रहने की स्थिति में सुविधा/सहायता राशि वापसी के लिये प्रमोटर उत्तरदायी रहेंगे।

स्थान :-

दिनांक :-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :- .....

(सील)

परिशिष्ट- 4

मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

क्र.एमपीट्रायफेक/एसएलईसी/ **भोपाल, दिनांक .....**

प्रति,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
मेसर्स .....,
.....,
.....,

विषय:- "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत सुविधा/सहायता की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :- "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत आपका आवेदन दिनांक .....

विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन पर राज्य स्तरीय साधिकार समिति की बैठक दिनांक ..... में विचार किया जाकर, निम्नानुसार रियायते/सुविधाए शर्तो के अध्याधीन स्वीकृति की जाती है :-

औद्योगिक पार्क हेतु

1/ एजेन्सी/संस्था को औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु राशि रूपये .....करोड का पूंजी अनुदान दिया जावे।

इकाई हेतु

1/ **वैट और सीएसटी प्रतिपूर्ति** :-

इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी में मान्य कुल पूंजी निवेश रूपये ..... की सीमा तक .....वर्ष के लिये कुल मूल्य संवर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर (जिसमें कच्चेमाल

की खरीद पर मूल्य संवंर्धित कर की राशि शामिल नहीं है) की जमा राशि पर इनपुट टेक्स रिवेट समायोजित करने के पश्चात 75 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति की जावे।

या

टफ(TUFS) अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर किये गये निवेश की सीमा तक वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 8 वर्ष के लिये सहायता, जो म. प्र. शासन के पास जमा की गई शुद्ध कर राशि से अधिक नहीं होगी, दी जावे, जो इकाई के प्रकार अनुसार निम्नानुसार होगी :-

कॉटन जीनिंग - जीनिंग कॉटन को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

स्पिनिंग मिल - कॉटन यार्न को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये अभिकलित सकल सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

वस्त्र विनिर्माण इकाई (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है) - विनिर्माण इकाई द्वारा कॉटन यार्न क्रय करने पर चुकाये गये वैट के समतुल्य।

या/एवं

रेडीमेड गारमेंट/अपेरल इकाई - रेडीमेड गारमेंट/अपेरल विक्रय करने पर चुकाये गये वैट और सीएसटी के समतुल्य।

2/ **प्रवेश कर मुक्ति** :-

इकाई को प्रथम कच्चामाल क्रय दिनांक ..... से .....वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक.....से .....तक के लिये, प्रवेश कर मुक्ति सुविधा दी जावे।

3/ **विद्युत शुल्क से छूट** :-

इकाई को ..... के.व्ही. कनेक्शन दिनांक ..... से .....वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक.....से .....तक के लिये,ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-23-2013-तेरह, दिनांक 04 मार्च, 2014 की शर्तों के अध्यधीन दी जावे।

4/ **मण्डी शुल्क में छूट**:-

राशि रू. ..... या वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक ..... से पांच वर्ष की अवधि में जमा मण्डी शुल्क (इनमें से जो भी कम हो) में छूट दी जाए।

5/ **ब्याज अनुदान**:-

इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक .....से 5 वर्ष के लिये 2 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की सुविधा दी जावे जो रूपये 5.00 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

या

इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक .....से 5 वर्ष के लिये 5/7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की सुविधा दी जावे।

राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा अनुमोदित

सचिव
राज्य स्तरीय साधिकार समिति
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट- 5

औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास करने की स्वीकृति हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक,

म.प्र. ट्रायफेक ।

विषयः- औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास करने की स्वीकृति बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ..... (मध्यप्रदेश) में औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास किया जाना प्रस्तावित है। उक्त पार्क की स्थापना/विकास करने की स्वीकृति बाबत विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

01. एजेन्सी/संस्था का नाम :

02. सम्पर्क का पता :
दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय :
दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

04. औद्योगिक पार्क का स्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

05. औद्योगिक पार्क :
का क्षेत्रफल (एकड़ में)
(क्षेत्रफल को प्रमाणित
करने वाले दस्तावेज
सहित)

06. औद्योगिक पार्क का :
स्वामी/लीजधारक
का नाम (दस्तावेज
संलग्न करें)

07. औद्योगिक पार्क में :
प्रस्तावित उद्योगो के
नाम (न्यूनतम पांच)

08. औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास :-
में किये जाने वाले प्रस्तावित निवेश
का संक्षिप्त विवरण (नक्शा व प्लान
ले-आउट संलग्न करें)

09. औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास :-
के पूर्ण होने की प्रस्तावित दिनांक
(चरणबद्ध समयसीमा संलग्न करें)

कृपया औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

परिशिष्ट- 6

M.P.TRADE & INVESTMENT FACILITATION CORPORATION LTD.
(Govt. of M.P. Undertaking)

No.- **Bhopal, Dated .....**

Exemption from Entry tax under section 10 of *Madhya Pradesh Sthania Kshetra Me Maal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976*

Certified that the dealer**.....**holding registration No**.....** dated **.....** under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 issued by the Commercial Tax officer **.....**circle is a manufacture in respect of the industrial unit in the name of **.....**having his place of business in local area**.....**is eligible to avail of the facility of exemption from the payment of entry tax for a period of ..... years as per the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014. State Level Empowered Committee constituted under the Policy , in exercise of its power of Government under section 10 of *Madhya Pradesh Sthania Kshetra Me Maal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976* (No. 52 of 1976) hereby grants an exemption to the dealer for the period of ..... years commencing from ..... and ending on .....

(2) The dealer has established a new industrial unit/an industrial unit undertaken/expansion/diversification/technical up-gradation in his existing industrial unit and is eligible for availing of the aforesaid facility of exemption in respect of the following raw material and incidental goods consumed or used in manufacture of other goods and packing material used in the packing of the manufactured goods and the raw materials incidental goods and packing materials are specified in the registration certificate under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002

Description	**Name of goods**	**Quantity**
(i) Raw material		
(ii) Incidental goods		
(iii) Packing material		

(3) The dealer has effected the first purchase of any of the aforesaid raw materials on **.....**

(4) The dealer has commenced production in the new industrial unit/under expansion/diversification/technical up-gradation in existing industrial unit on **.....**

(5) This certificate is valid for the period from**.....**to**.....** (Both days inclusive)

Place : Bhopal

Date : .....

Secretary
State Level Empowered Committee
M.P.

Endt. No./ **Bhopal, Dated .....**

Copy forwarded to :-

1. Commissioner Commercial Taxes, MP Indore**.....**.
2. Commercial Tax Officer, Circle **.....**.
3. General Manager, MP TRIFAC, Bhopal
4. M/s **.....**

Secretary
State Level Empowered Committee
M.P.

Quarterly Statement for Claiming Interest Subsidy Sanctioned by M.P. State Government as Special Package for Textile Industry

(Interest Subsidy on the Term Loan Disbursed by M.P. State Financial Corporation/Nationalized Bank/ Other Financial Institutions)

(Under Rule - 15)

Sl. No.	Name of the unit claiming financial Assistance	Amount of term loan sanctioned		Amount of Term Loan disbursed till the Quarter ending		Date of Production of unit	Opening Balance of Term Loan of the start of quarter (as on .....)		Rate of interest on Term Loan and interest amount during quarter			Interest Subsidy Rate	Amount of interest reimbursement required		Remarks
		Total	Eligible under TUFS on plant and machinery	Total	Eligible under TUFS on plant and machinery		Total	Eligible under TUFS on plant and machinery	Rate of interest on Term loan	Interest amount during quarter on total loan	Interest amount during quarter on units eligible loan		Till the end of last quarter	For current quarter	
1	2	3(a)	3(b)	4(a)	4(b)	5	6(a)	6(b)	7(a)	7(b)	7(c)	8	9	10	11

1. The company/unit is regular in servicing its Repayment & Interest obligations, as and when due.
2. The company/unit is timely servicing its repayments as per sanction terms and above does not include any kind of penal Interest.
3. The company/unit is regularly repaying Principle & Interest for all the Term Loans (under TUFS) availed from our Financial institution/bank
4. Interest Subsidy is being claimed for Plant & Machinery eligible under TUFS & does not include any other amount

Seal and Signature of
Financial institution/bank

परिशिष्ट- 8

मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

क्र.एमपीट्रायफेक/एसएलईसी/ **भोपाल, दिनांक .....**

//स्वीकृति सह वितरण आदेश//

राज्स स्तरीय साधिकार समिति की बैठक में दिनांक ..... में लिए गए निर्णय अनुसार टेक्सटाईल परियोजना अंतर्गत निम्नानुसार ब्याज अनुदान की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है:-

1.	इकाई का नाम व पता	:	
2.	नवीन इकाई है अथवा विद्यमान इकाई	:	
3.	यदि विद्यमान इकाई है, तो प्रकार (आधुनिकीकरण/शवलीकरण/विस्तार)	:	
4.	उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	:	
5.	पात्रता अवधि पात्रता की देय अवधि (कब से कब तक)	:	
6.	देय ब्याज अनुदान की दर	:	
7.	क्लेम की अवधि (कब से कब तक)	:	दिनांक .....से .....तक
8.	टेक्सटाईल अपग्रेडेशन फण्ड (TUF) योजनांतर्गत पात्र टर्मलोन	:	रू. .....करोड़
9.	कुल रोजगार	:	
10.	वित्तीय संस्था/बैंक का नाम एवं पूर्ण पता तथा स्वीकृत ब्याज अनुदान राशि (संस्थावार) (i) (ii) (iii)	:	

(II) प्रदेश में नवीन/विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत टेक्सटाईल परियोजनाओं को "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत उल्लेखित नियम एवं शर्तें इकाई को बंधनकारी होंगे।

(III) ब्याज अनुदान की राशि का वितरण, पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने अथवा अन्य किसी कारण वश, किश्तों में किये जाने की स्थिति में, इकाई को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(IV) प्रकरण में त्रुटिपूर्ण तथ्यों/जानकारी के आधार पर अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में इकाई को भुगतान की गई अनुदान राशि 12 प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस करनी होगी। ऐसा न करने पर राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया की तरह की जायेगी।

प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रायफेक

पृ.क्र.एमपीट्रायफेक/एसएलईसी/ **भोपाल, दिनांक**

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2/ महाप्रबंधक(लेखा), एमपी ट्रायफेक, भोपाल को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत राशि रू..... का भुगतान मेसर्स ..... के पक्ष में निम्नानुसार करें:-

अनु क्रमांक	बैंक शाखा का नाम व पता	ब्याज अनुदान की राशि	टर्मलोन खाता क्रमांक	आईएफएससी कोड
1				
2				

3/ मेसर्स ..... की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रायफेक

परिशिष्ट- 9

APPLICATION FOR SANCTION OF RELIEF PACKAGE TO THE FINANCIALLY CONSTRAINED UNITS

To,

The Managing Director,
MPTRIFAC,
Bhopal

Sub:- Sanction of Relief Package available to financially constrained units under the Industrial Promotion Policy-2014.

Sir,

1. The …….. is a SPV promoted by …….. The Company has set up a …….unit for ……. at ……..…….at a cost of Rs……Crores.

2. The total investment in the Plant & Machinery as on ……is Rs……...…….. A Certificate from the Statutory Auditor is enclosed (Annexure-A).

3. The unit commenced commercial production w.e.f. ……

4. The Company has been facing financial difficulties due to …… …… …… ……

5. Due to the circumstances mentioned above, the Company is in a difficult situation and facing considerable liquidity constraints. As a result of the liquidity crisis, the Company shall not be able to meet its debt service obligations, if the situation continues.

6. The Audited Accounts of the Company for the year ending 31st March …… and the Lender's estimates of the Company duly certified by the Statutory Auditors of the Company appointed under The Company Act 2013 (Annexure-B) would confirm the financial constraints of the Company and its inability in meeting the debt service obligations.

7. The Company is now in urgent need of support from the Government to tide over the liquidity constraints and for the long term sustainability of the Company.

8. We seek the following support from the Government available to the Financially Constrained units under the Industrial Promotion Policy-2014:- (Please quantify and justify the sought relief and the period for which the relief is being sought)

(a) .....
.....
.....

(b) .....
.....
.....

(c) .....
.....
.....

9. A letter issued by the ..... , the lead financial institution vouching the financial constraints of the Company and recommendation for sanction of the sought relief is enclosed (Annexure-D).

10. The Company is willing to submit a Bank Guarantee of an amount equivalent to 110% of the ……amount paid/payable as per point 8 above. The estimated amount on year to year basis has been indicated in the Annexure-C.

OR

The Company is expected to get payment from the State Government/its agencies. The Company shall enter into a Tripartite Agreement with the State Government and the Lenders as provided in the Policy enabling the State Government to adjust the amount of loan along with interest against the payment due to the Company.

11. The Company is also agreeable to pay the interest as per State Bank of India base rate on the amount of loan during its pendency.

12. We shall be pleased to provide such further information/explanation as may be required.

Enclosures : As mentioned above

Yours sincerely,

For……

LETTER REQUIRED TO BE OBTAINED BY THE APPLICANT FROM THE LENDING INSTITUTION(Annexure-D)

To,

The Managing Director,
MPTRIFAC,
Bhopal

Sub:- Recommendation for Sanction of Relief Package for financially constrained unit under the Industrial Promotion Policy, 2014 to.....

Sir,

..... Ltd. is a SPV promoted by ..... The company has put up a .....unit in M.P. for ..... and has invested Rs. ..... crores in plant & machinery. The unit has been extended financial assistance of Rs. .....by a consortium led by..... .

The Company is facing financial constraints and need support to be sustainable in the long term due to circumstances…….. (to be filled in by lead financial institution).

We have examined the Audited financial statement of the Company for the year ending 31st March …….. and the financial estimates certified by the Auditors of the Company or practicing Chartered Accountant to assess the profitability, paying capacity of the Company and its liquidity. On the basis of our analysis of the estimates, in our opinion, the debt service coverage ratio, liquid ratio, internal rate of returns and other indicators for the loan period are suggestive that the Company is financially strained and will not be in a position to meet its debt service obligations if the situation persists.

The company proposes to make an application to the Government of Madhya Pradesh for grant of following incentives available to mega projects under the Industrial Promotion Policy 2014 :-

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

(iv) .....

We are of the opinion that the sought relief is justified and if sanctioned it shall help the Company to overcome the financial constraints and honour its debt repayment commitments.

We recommend that request of the company may please be favourably considered for grant of sought incentives.

For,

…….....……

परिशिष्ट- 11

M.P.TRADE & INVESTMENT FACILITATION CORPORATION LTD.
(Govt. of M.P. Undertaking)

No.- **Bhopal, Dated .....**

Certificate of Deferment/Assistance of Government Dues for Financially Constrained Units

Certified that the M/s…….. has set up a……..…….. Project/Unit for …….. at…….. a cost of Rs…… crores.

2. The Lead Financial Institution for this project ……. has recommended to consider this project for grant of incentives available under Industrial Promotion Policy, 2014 for financially constrained units.

3. The statutory auditor of the company appointed under the Company Act 2013 has certified the Company as a financially constrained unit.

4. The Cabinet Committee on investment promotion in its meeting dated ..... has decided to defer following government dues for a period of.... years starting from ..... and ending on.....

Sr.no.	Type of dues	Period for which payable	Amount
(i)			
(ii)			
(iii)			

5. This certificate is being issued under following conditions:-

5.1 The company/project promoters shall submit a Bank Guarantee of an amount equivalent to 110% of the ……amount payable as per point no. 4 of this order.

OR

5.2 The company/project promoters shall enter into a Tripartite Agreement with the State Government or its concerned Agency & Lenders enabling the State

Government to adjust the amount of loan along with interest against the payment to the company.

5.3 The Company/project promoters is also agreeable to pay the interest as per prevailing State Bank of India base rate on the amount of loan during its pendency. The interest will be paid annually.

Place: Bhopal
Date…….

Secretary
State Level Empowered Committee
M.P.

Endt. No./ **Bhopal, Dated .....**

Copy forwarded to :-

1. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Govt of M.P. **.....**Department, Mantralaya, Vallabh Bhavan, Bhopal.
2. Chief General Manager, MP TRIFAC, Bhopal
3. **.....** Bank/Financial Institute **.....**
4. M/s **.....**

Secretary
State Level Empowered Committee
M.P.

M.P. TRADE & INVESTMENT FACILITATION CORPORATION LTD.
(Govt. of M.P. Undertaking)

No.- **Bhopal, Dated .....**

Certificate of eligibility for exemption of Mandi Fee

The State Level Empowered Committee constituted as per clause 4.3 of Industrial Promotion Policy 2014, in exercise of its power under clause 6.4 of the *Madhya Pradesh Nivesh Protsahan Yojna, 2014* hereby grants exemption to **.....** , having Mandi Committee/s valid license no. **.....,** Dated **.....** , located at **.....** from payment of Mandi Fee as levied under The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 for a period of five Years commencing from **.....** and ending on **.....** or Rs. **.....,** whichever is lower, subject to the following conditions :-.

(i) The exemption shall be made available to those units which purchases agriculture produces of this state.

(ii) The processor maintains a detailed account of purchases and processing of Agricultural Produce.

(iii) The exemption will not be available to ineligible industries.

Place : Bhopal

Date : **.....**

Secretary
State Level Empowered Committee
M.P.

Endt. No./ **Bhopal, Dated .....**

Copy forwarded to :-

1. Principal Secretary, Govt. of M.P., Farmer Welfare & Agriculture Development Deptt. Mantralaya Bhopal.
2. Managing Director, M. P. State Agriculture Marketing Board, Bhopal.
3. Manager, Krishi Upaj Mandi **.....**
4. General Manager, MP TRIFAC, Bhopal
5. M/s **.....**

Secretary
State Level Empowered Committee
M.P.